

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति.4/च.श्रे/पदो/2018/

14971

दिनांक: 18-9-18

आदेश

राजस्थान अधिनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर उक्त नियमों के नियम 33 के अन्तर्गत निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल-5 में निम्नानुसार पदोन्नत किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

क्र. सं	नाम चतुर्थ श्रेणी/परिचारक	संवर्ग	जन्म दिनांक	पदोन्नति वर्ष	रिक्ति दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया है	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1	बाबूलाल जाटव	एस.सी.	05-11-1960	2018-19	01.07.18	पंचकुईया-दौसा
2	मो.युसुफ	सामान्य	17-09-1964	2018-19	01.08.18	नोखाचांदावत-नागौर
3	नरपतसिंह राजपुरोहित	सामान्य	20-04-1962	2018-19	01.08.18	टांकला- नागौर
4	राधेश्याम छीपा	ओ.बी.सी.	01-01-1959	2018-19	01.08.18	कोठिया-भीलवाडा
5	लेखराज वर्मा	एस.सी.	01-03-1966	2018-19	01.08.18	देवल-टाँक

नोट:- उक्त कार्मिक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अन्दर वर्तमान में कार्यरत स्थान से संबंधित जिले के उप निदेशक कार्यालय(पूर्व जिला कार्यालय) में कार्यग्रहण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

दिनांक: 18-9-18

क्रमांक: प.1/प्रति.4/च.श्रे/पदो/2018/ 14971

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर
- 2- निजी सहायक, निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर
- 3- अति.निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग अजमेर/जयपुर
- 4- उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जिला दौसा/नागौर/भीलवाडा/टाँक/
- 5- संबंधित कार्मिक द्वारा कार्यालयाध्यक्ष
- 6- प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं मेल हेतु
- 7- सामान्य पत्रावली

सहायक निदेशक